न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

अभिषेक बनाम लैण्डहोल्डर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र 136 LR ACT मु.नं. - 75/2024	
17.03.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.एक्ट में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पत्रावली दिनांक 24.03.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
24.03.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट पर बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
75 / 2024	2024 / 298	17.9.2024	24.03.2024

उनवान प्रकरण

अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल जाति महाजन उम्र 33 साल निवासी मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0हाल ए/5–6, भाग्योदय सरोजनी रोड़, मेक्डोनाल्ड, विले पार्ले (वेस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र

––प्रार्थी––

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
2. मोहनलाल पुत्र छगन लाल महाजन बदूका निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

––अप्रार्थीगण––

उपस्थितः–

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 का एकमात्र पुत्र है। अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थी के अलावा अन्य पुत्र संतान

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वर्तमान मे या दिनांक 12.02.1992 को नही है ना ही थी। प्रार्थी के पिता उदर पोषण व जीविकोपार्जन के सिलसिले मे लगभग 40 वर्षो से मुम्बई में रहते है। प्रार्थी का लालन–पालन व बचपन अपनी दादी के पास ग्राम मुण्डरू में होकर दादी बचपन से प्रार्थी को प्यार से श्यामलाल के नाम से बोलती थी क्योंकि दादी खाटू के श्यामजी के प्रति अत्यधिक आस्थावान थी। दिनांक 12.02.1992 को प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की आवश्यकता में प्रार्थी के लिये प्रार्थी के नाम से भूमि खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.01 हैक्टर व 2822 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.4700 है0 तन् ग्राम मुण्डरू के 1/3 हिस्से की भूमि उक्त भूमि के खातेदारान् श्रीमती नन्द कॅवर पत्नि सायरसिंह व जयसिंह, दयालसिंह व रतनसिंह पुत्रगण सायर सिंह से 20,000/– रूपये के प्रतिफल में खरीद की थी। जिसका विक्रय लेख अप्रार्थी सं. 2 ने प्रार्थी के नाम दिनांक 12.02.1992 को उप पंजीयक कार्यालय में प्रार्थी के हक में खुद के सरंक्षक की हैसियत से पंजीबद्ध करवाया था तब से उक्त भूमि पर प्रार्थी लगातार काबिज काश्त बतौद खातेदार चला आ रहा है। उक्त विक्रय लेख के अनुसरण में प्रार्थी का नाम श्यामलाल अंकित करते हुए नामान्तकरण संख्या 308 तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा वर्ष में विधिवत तस्दीक हुआ व नामातंरण में भी प्रार्थी का नाम श्यामलाल अंकित करते हुए उसे अवयस्क दर्ज किया गया। प्रार्थी की जन्म तारीख 09.01.1991 होकर विक्रय लेख के समय मात्र 1 वर्ष की आयु थी। इसलिए कोई नामकरण संस्कार अथवा प्रामाणिक नाम नहीं हो सका था। प्रार्थी की माता–दादी द्वारा श्याम–श्याम के नाम से ही घर में बोला जाता था। इसी कारण प्रार्थी का नाम श्यामलाल अंकित कर दिया गया। प्रार्थी की उम्र बढ़ने पर व शिक्षा ग्रहण करने की आयु में मुम्बई में स्कूल में प्रवेश कराते समय प्रार्थी का नाम अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल दर्ज कराया गया है। अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल व श्यामलाल कोई दो व्यक्ति नहीं होकर प्रार्थी के रूप में एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम महाराष्ट्र में प्रचलित प्रणाली के अनुसार पिता के नाम के साथ वहां के शैक्षणिक अभिलेख व अन्य सरकारी कार्यालय में अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल के रूप में अंकित है। प्रार्थी के तमाम शैक्षणिक रिकार्ड अभिषेक मोहनलाल के नाम से है। इसी नाम से प्रार्थी की वर्तमान में पहचान है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दुरूस्त होकर श्यामलाल पुत्र मोहनलाल की जगह अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल दर्ज होना कानूनी रूप से व सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के सुगम व सरल प्रयोग हेतु उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। जिससे प्रार्थी के आधार कार्ड, वोटर लिस्ट एवं शैक्षणिक रिकार्ड व भूमि के अभिलेख मे एकरूपता आ सके व अनावश्यक उलझने पैदा ना हो। प्रार्थी अपनी खरीदशुदा भूमि हेतु राज्य सरकार द्वारा काश्तकारी हेतु सुविधायुक्त नियमों व राहतों का भी उपयोग उपभोग समुचित रूप से नहीं कर पाता है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का व अप्रार्थी स 1 से 1 माह पूर्व निवेदन किये जाने पर उन्होंने रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने हेतु आदेश लाने हेतु कहे जाने पर प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती रिकार्ड पेश कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करके दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करमाया जाकर राजस्व ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित कृर्षि भूमि खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.01 व 2822 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकबा 0.4700 है0 के 1/3 भाग की खातेदारी को राजस्व रिकार्ड में श्यामलाल पुत्र मोहनलाल महाजन के नाम अंकित है उसे अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल के रूप में दर्ज किये जाकर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करके दुरूस्त किये जाने के आदेश अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाने का निवेदन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136 एल.0आर0एक्ट में किया है।

इस पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पेश करने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट लिये जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को जरिये पत्रांक कमांक 147/रीडर/25 दिनांक 21.01.2025 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 631/भू.अ./25 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :–

राजस्व ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 760 में भूमि खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0 बैरी व खाता संख्या 435 खसरा नम्[illegible] रकबा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में श्यामलाल पुत्र मोहनलाल [illegible] देह खातेदार दर्ज है। राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में खातेदार श्यामलाल के नाम बैचान के नामान्तकरण सं. 308 दिनांक 23.02.1993 के द्वारा दर्ज हुआ है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों से पूछताछ करने पर पाया गया कि श्यामलाल पुत्र मोहनलाल जाति महाजन व अभिषेक पुत्र मोहनलाल जाति महाजन एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है तथा पंचायत के द्वारा भी उक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होने का प्रमाण तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में अभिशंषा की गई है।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 दो जमाबन्दियॉ, खसरा नॅक्शा व जमाबन्दी, आधार कार्ड की प्रति, नामान्तकरण संख्या 308, रजिस्टर्ड विक्रय लेख की फोटोप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत मूण्डरू द्वारा जारी प्रमाण पत्र, रिपोर्ट पटवारी हल्का मूण्डरू व अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता संख्या 760 में भूमि खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गै0मु0 बैरी व खाता संख्या 435 खसरा नम्बर 2822 रकवा 0.46 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में श्यामलाल पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/3 जाति महाजन सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त भूमि खातेदार श्यामलाल पुत्र मोहनलाल के द्वारा क्रय किये जाने से जरिये बैचान के नामान्तकरण सं. 308 दिनांक 23.02.1993 के द्वारा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। खातेदार श्यामलाल पुत्र मोहन लाल अग्रवाल के उम्र बढ़ने व शिक्षा ग्रहण करने की आयु होने पर स्कूल में प्रवेश कराते समय वर्तमान में प्रचलित नाम अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल के मुम्बई महाराष्ट्र में प्रचलित प्रणाली व संस्कृति अनुसार प्रार्थी के नाम अभिषेक के साथ उसके पिता मोहन लाल अग्रवाल का नाम भी लिखा जाना प्रकट होता है। जिससे भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। उक्त राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार श्रीमाधोपुर की प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट के आधार पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम— 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन् राजस्व ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.01 व 2822 रकबा 0.46 हैक्टर कुल किता—2 कुल रकबा 0.4700 हैक्टर के 1/3 भाग की खातेदारी में दर्ज श्यामलाल पुत्र मोहन लाल महाजन के स्थान पर अभिषेक मोहन लाल अग्रवाल उर्फ श्यामलाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में शुद्ध कर दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की कार्यवाही कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करें। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:49:18 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)